# भारत की जनसँख्या नीति
# Population Policies of India

*बोलेन्द्र कुमार अगम,*
*सहायक प्राध्यापक भूगोल,*
*राजा सिंह कॉलेज सिवान*

## राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1976

16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई । इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य जन्म दर में कमी लाकर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का समाधान करना था । इस जनसंख्या नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:

1. **विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि:** इस नीति के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 15 से 18 तथा लड़कों की 18 से 21 वर्ष कर दी गई ।
2. **अनिवार्य बंध्याकरण:** राज्य सरकार स्वेच्छानुसार बंध्याकरण को कानून बनाकर अनिवार्य कर सकती है ।
3. **राज्यों को केंद्रीय सहायता:** इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध वित्तीय सहायता / धनराशि में से 8% धनराशि परिवार नियोजन कार्यों पर नहीं करने पर उनकी सहायता राशि में कटौती का प्रावधान था ।
4. **मौद्रिक सहायता:** इसके अनुसार नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर दी गई । 1 मई 1976 से जीवित 2 बच्चों के बाद बंध्याकरण कराने पर रु.150, तीन बच्चों पर रु.100 तथा 4 या इससे अधिक बच्चों पर रु.70 प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई ।
5. **संसद में प्रतिनिधित्व:** लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा तथा यह व्यवस्था 2001 तक बनी रहेगी । इससे सभी राज्यों को परिवार परिसीमन के लिए बल मिलेगा ।
6. **आयकर में छूट:** परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जनसंख्या नीति में यह प्रावधान किया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु सरकार स्थानीय संस्था एवं अनुमोदित पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए दानों को आयकर में छूट दी जाएगी ।
7. **जनसंख्या संबंधित शिक्षा:** इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जनसंख्या संबंधित शिक्षा को शामिल किया जाए ताकि बच्चे प्रारंभ से ही छोटे परिवार के महत्व को समझ सके ।
8. **व्यापक प्रचार:** परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रचार माध्यमों को अधिक सहायता दी जाएगी । प्रचार माध्यम परिवार नियोजन माध्यमों का अधिकाधिक प्रचार करें ।

9. **छोटे परिवार का सिद्धांत:** इस बात पर विशेष बल दिया गया कि परिवार छोटा रहे । इसे हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारें छोटे परिवार के सिद्धांत को प्रमुखता देंगी ।
10. **समूह प्रेरणा:** जनसंख्या नीति में प्रावधान किया गया कि परिवार नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य ऐसे ही संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाए ताकि वे ऐसी दिशा में और अधिक महत्वपूर्ण निर्वहन कर सकें ।
11. **लड़कियों की शिक्षा पर बल:** महिलाएं शिक्षित होती है तो प्रजनन दर में कमी आती है । इसी विचारधारा को मान्यता देने हेतु जनसंख्या नीति में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया ।

**जनसंख्या नीति में संशोधन**

1976 में बनाई गई जनसंख्या नीति को ठीक से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को बाध्यकारी बनाने के प्रयासों के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया हुई एवं लक्ष्य के विपरीत जन्म दर में भी वृद्धि हुई । इसलिए जुलाई 1977 में घोषित नई जनसंख्या नीति पूर्णत: स्वैच्छिक नियंत्रणों पर आधारित की गई । इसके साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्वास्थ्य, शिशु कल्याण और पोषाहार के साथ समन्वय करने का निश्चय किया गया । फलत: परिवार नियोजन का नाम बदलकर **परिवार कल्याण** कर दिया गया । इस दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यधिक ढील होने के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारी धक्का लगा ।

**जनसंख्या नीति का मूल्यांकन**

जनसंख्या नीति 1976 में दिए गए प्रावधानों को देश में लागू किया गया है फिर भी जनसंख्या संबंधित समस्या अभी भी बहुत है । यदि इन समस्याओं का समाधान न किया जाए तो जनसंख्या नीति में किए गए प्रावधानों का कोई मतलब नहीं है । जनसंख्या नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. शिक्षा सुविधाओं का विकास एवं विस्तार
2. नियमों का कड़ाई से पालन
3. गर्भपात की अधिक सुविधा
4. बड़े परिवार पर अधिक कर
5. गर्भनिरोधक साधनों पर विशेष बल
6. अनुसंधान पर बल
7. नसबंदी संबंधी निशुल्क चिकित्सा

**राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट**

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया । इसके अध्यक्ष डॉ एम० एस० स्वामीनाथन थे । इस समिति ने 21 मई 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है:

1. जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या में स्थायित्व लाना है किंतु इन्हें प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के माध्यम से समग्र सामाजिक विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ।
2. परिवार नियोजन कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए ।
3. बाल विवाह, दहेज, भ्रूण हत्या को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।
4. जनसंख्या नियंत्रण एवं सामाजिक विकास से संबंधित लक्ष्य स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किया जाना चाहिए ।
5. जनसँख्या एवं सामाजिक विकास आयोग के रूप में एक संस्था की स्थापना की जाए जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभागों का स्थान ले सके ।
6. जनसंख्या एवं सामाजिक कोष की स्थापना ।
7. लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध ।
8. 18 वर्ष से कम आयु में विवाह रोकने के लिए व्यापक विवाह पंजीकरण कानून बनाया जाए ।
9. 2010 तक प्रजनन दर को 2.1 किया जाए ।
10. शिशु मृत्यु दर को 2010 तक 30 प्रति हजार किया जाए ।

अतः जनसंख्या नियंत्रण हेतु मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक पक्ष पर बल दिया जाने लगा है । स्थाई बंध्याकरण के स्थान पर अब बच्चों के बीच उचित अंतर रखने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । इस हेतु प्रजनन व शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था तथा गर्भनिरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है । पहले मातृत्व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया एवं वर्तमान समय में प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है । जनसंख्या नीति 2000 में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना है । जनसंख्या नीति का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है । इसे खंडवार और वर्गवार ढंग से लागू करने हेतु विशेष रणनीति बनाना आवश्यक है ताकि जनसंख्या की अवांछित वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके । पंचायतीराज संस्थाओं की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है क्योंकि समस्या अभी भी ग्रामीण भारत में अधिक है । ....क्रमशः

**********

सन्दर्भ: जनसँख्या भूगोल-SBPD प्रकाशन, डॉ चतुर्भुज ममोरिया & डॉ एच एस गर्ग; भारत का भूगोल-कॉसमॉस प्रकाशन, महेश बर्णवाल

**********